

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून

पत्रांक 1066/अभि0/नि0सू0/2023-24

दिनांक 25/01/2024

निविदा सूचना

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदारों/ फर्मों जो आयकर, व्यापार कर/जीएसटी0 देहरादून में भी पंजीकृत हो, ऐसे फर्म/ठेकेदार अपनी श्रेणी के अनुसार नीचे वर्णित कुल 02 विकास कार्य को करने हेतु निविदा फॉर्म/ बिल ऑफ क्वॉलिटी के साथ संलग्नक में अंकित विशेषाधिकारों हेतु मुहरबन्द निविदा (ऑफ लाइन) प्राधिकरण कार्यालय में स्थित टेंडर बॉक्स के माध्यम से दिनांक 16.02.2024 को अपराह्न 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट mddaonline.in में भी दिया गया है। यदि उक्त निविदा के संबंध में किसी प्रकार के संशोधन आदि किये जाने की आवश्यकता होती है, तो उसकी सूचना उक्त वेबसाइट के माध्यम से दी जायेगी।

wws

अधिसासी अभियन्ता, म0दे0वि0प्राधिकरण देहरादून।

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण/सापोर्ट नगर, सहारनपुर रोड देहरादून

पत्रांक /विकास कार्य/नि0सू0/2023-24

दिनांक 25/01/2024

1066

निविदा सूचना


मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदारों/ फर्मों जो आयकर, व्यापार कर/जी0एस0टी0 देहरादून में भी पंजीकृत हों, ऐसे फर्म/ठेकेदार अपनी श्रेणी के अनुसार नीचे वर्णित कुल 08 विकास कार्य को करने हेतु निविदा फार्म/ बिल ऑफ क्वॉलिटी के साथ संलग्नक में अंकित विशिष्टियों हेतु मुहरबन्द निविदा (ऑफ लाईन) प्राधिकरण कार्यालय में स्थित टेंडर बाक्स के माध्यम से दिनांक 16.02.2024 को अपरान्ह 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो दिनांक 17.02.2024 को प्रातः 11.00 बजे के उपरान्ह निविदा समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के सम्म प्राधिकरण के सम्मपार में खोली जायेंगी। इन कार्य हेतु निविदा दिनांक 27.01.2024 से दिनांक 12.02.2024 को अपरान्ह 2.00 बजे तक फर्म की जा सकती है।

इच्छुक फर्म /ठेकेदार द्वारा उक्त कार्य हेतु निर्धारित धरोहर राशि की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 जो अधिशासी अभियन्ता के नाम बन्क होगी एवं निविदा का शुल्क मसूरी जी0एस0टी0 सहित की धनराशि का पे आर्डर जो सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के पक्ष में हो, अन्य शर्तें जी0पी0डब्ल्यू0-9 एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा परफोरमेंस सिक्योरिटी एवं जमानत राशि हेतु जारी सशोधित शासनादेश संख्या 1197/11(2)/0.7-75 (सामान्य)/11 दिनांक 24-2-2014 एवं अन्य के अनुसार होंगी तथा जी0एस0टी0 नियमानुसार देय होगा। कार्य का विवरण निम्नवत है:-

क्र०	कार्य का नाम	अनु० लागत (लाख) ₹0	निविदा मूल्य (जी0एस0टी0 सहित) ₹0	धरोहर राशि ₹0	समय (माहों में)
1	धर्मपुर विधान सभा के अन्तर्गत रैम्की आई0एस0वी0टी0 परिसर में फुटपाथ रैनोवेशन का कार्य।	20.82	2360.00	62,500.00	03
2	धर्मपुर विधान सभा के अन्तर्गत रैम्की आई0एस0वी0टी0 परिसर में पिन्क टायलेट निर्माण कार्य।	20.82	2360.00	62,500.00	06
3	धर्मपुर विधान सभा के अन्तर्गत रैम्की आई0एस0वी0टी0 परिसर में एक्जेट गेट का निर्माण कार्य।	21.87	2360.00	65,650.00	02
4	धर्मपुर विधान सभा के अन्तर्गत रैम्की आई0एस0वी0टी0 परिसर में एन्ट्री गेट का निर्माण कार्य।	15.49	1770.00	46,500.00	02
5	प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर पोटेबल डिवाइडर का कार्य।	20.59	2360.00	61,800.00	02
6-	सचिवालय में अपर सचिव शिक्षा कार्यालय का रिनोवेशन का कार्य।	20.92	2360.00	62,800.00	01
7-	सहसपुर विधान सभा के अन्तर्गत जनजातिय स्कूल झाझारा में सौन्दर्यीकरण का कार्य।	21.00	2360.00	63,000.00	01
8-	धर्मपुर विधान सभा के अन्तर्गत पुलिस लाईन में सौन्दर्यीकरण का कार्य।	20.97	2360.00	65,950.00	01

अन्य नियम एवं शर्तें :-

- 1- निविदा के साथ मूल रूप में एवं ऑन लाईन निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत किये जाने अनिवार्य हैं:-
 - (क)- निविदा वैधता, सत्यता और शुद्धता, लिटिगेशन, निविदा समिति के निर्णय/नो कलेम व No Dues के संबंध में ₹0 100.00 के स्टाम्प पेपर एवं ₹0 1.00 के रसीदी टिकट के साथ नोटराइज्ड हस्ताक्षरित शपथ पत्र।
 - (ख)- उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 770/iii(2)17-20 (सामान्य)2011 टी0सी0 दिनांक 12.06.2017 के अनुसार विभागीय दरों से 5 प्रतिशत से कम दरों पर निविदा देने पर अतिरिक्त परफोरमेंस सिक्योरिटी नियमानुसार जमा करानी होगी।
 - (ग)- प्राधिकरण को बिना कारण बताये निविदा को निरस्त करने का अधिकार होगा।


 अधिशासी अभियन्ता,
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
 देहरादून ।

प्रतिलिपि:-

- 1-सचिव, म०दे०वि०प्राधि०देहरादून ।
- 2-मुख्य लेखाधिकारी म०दे०वि०प्राधिकरण देहरादून ।
- 3-अधीक्षण अभियन्ता, म०दे०वि०प्राधिकरण, देहरादून।
- 4-नगर निगम/लोक निर्माण विभाग/जिला परिषद/सिचाई विभाग के नोटिस बोर्डों पर चस्पा हेतु।
- 5-नाजिर म०दे०वि०प्राधि० को इस आशय से प्रेषित कि वह एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराकर अखबार की प्रति इस अनुभाग को उपलब्ध करायेगें ।
- 6- आई०टी० अनुभाग को इस आशय से कि विज्ञप्ति को बेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 7-प्राधिकरण नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।
- 8-सम्बन्धित पत्रावली पर संलग्न करने हेतु ।

aw/s
अधिशासी अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून ।